Date: 15 Oct 2014

सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत, फिलहाल जमानत नहीं।

Date: 15 Oct 2014/ For Immediate Publishing & Circulation

सुप्रीम कोर्ट की माननीय न्यायधीश टी एस ठाकुर में समेत दो जजों की बेंच के समक्ष आज हुई सुनवाई के बाद थोड़ी राहत दिखी है। कोर्ट ने शिकायत लड़की की विवादित आयु से सम्बंधित दस्तावेजों को बचाव पक्ष को उपलब्ध कराने के लिए समन जारी किया है जिनमें लड़की का बालिग होना ठहरता है। जोधपुर पुलिस को ये दस्तावेज अब कोर्ट में पेश करने होंगे जिनके आधार पर ट्रायल में क्रॉस-एग्जामिनेशन की जा सकेगी और लड़की के आयु निर्धारण के विषय को तय किया जा सकेगा। वहीं दूसरी ओर, बापूजी के स्वास्थ्य के विषय में कोर्ट ने भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को आदेश जारी करते हुए एक जाँच पेनल गठित करने के लिए आदेश दिया है, जिसके बाद मुमकिन है कि बापूजी को स्वास्थ्य सुविधाओं और ट्राईजेमिनल न्युरेल्जिया की सर्जरी के लिए बापूजी को दिल्ली लाया जायेगा।

लगभग डेढ़ घंटे से ज्यादा चली सुनवाई में पिछली तारीख पर रखे गए विषयों को आगे बढ़ाते पूज्य बापूजी और सह-अभियुक्तों की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा, पूर्व कानून एवं विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और राजस्थान सरकार के लिए प्रतिनिधित्व कर रही एडवोकेट पिंकी आनंद ने पैरवी की। एडवोकेट सलमान खुर्शीद ने बापूजी के ख़राब स्वास्थ्य के उपचार और ट्राईजेमिनल न्युरेल्जिया की सर्जरी के लिए नॉएडा के एक निजी सेंटर में तमाम और बेहतर तकनीक की सुविधाओं के होने के विषय को कोर्ट के समक्ष रखा लेकिन कोर्ट ने एम्स को ही सर्जरी के लिए उपयुक्त समझा है और एम्स को बापूजी के उपचार के विषय में निर्णय लेने को एक पैनल गठित करने का आदेश दिया है। फिलहाल कोर्ट में अंतरिम जमानत के मुद्दे पर कुछ आवश्यक गवाहों की क्रॉस-एग्जामिनेशन पूरी ना होने की वजह से चर्चा नहीं हो सकी है।

इसी के साथ लगी अन्य याचिकों पर पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट लूथरा, महेश बोहरा और अनिरुद्ध जोशी द्वारा पोक्सो की वजह मामले को विशेष कोर्ट में चलाये जाना, शिकायतकर्ता लड़की की आयु का सन्देहास्पद होना, अभियोजन पक्ष द्वारा उन दस्तावेजों को कोर्ट में ना पेश करना जिनमें लड़की का बालिग होना ठहरता है, पोक्सो कानून की खामियों समेत सभी मुद्दों को पुरजोरी से उठाया गया। सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने कानूनी तथ्यों के साथ आयु सम्बंधित दस्तावेजों की उपलब्धता नहीं होने के कारण बचाव पक्ष को हो रही हानि से केस की कार्यवाही पक्षपाती होने को लेकर लंबी बहस की जिसे माननीय न्यायधीश ने स्वीकारते हुए दस्तवेजों को पेश करने का समन जारी कर दिया। कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई के लिए कोई अगली तारीख नहीं रखी है।

ऐसे में कैमरे और माइक लेकर उधर भागते जनता के सामने जिम्मेदार होने का स्वांग रचने वाले प्रेस-रिपोर्टर, स्टूडियों से बापूजी के प्रति घृणास्पद शब्दों को जज्बे के तौर पर पेश करने वाले न्यूज एंकर और बापूजी के लिए नकारात्मक ख़बरों को टॉप हैडलाइन्स में दिखाने वाले संपादक महाराष्ट्र और हरियाणा की चुनावी सरगर्मी के बीच बापूजी के लिए राहत भरी इस खबर को आज शायद ही कवर करें, शायद ही दिखाएँ।

Source: Briefing by TEAM SAFSAC Representatives, involved in the petition of Shri Sharath Chand Pottala, Director of Chhindwara Gurukul.